

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1934 (शO) पटना, सोमवार, 27 अगस्त 2012

(सं0 पटना 428) पटना, सोमव

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-12/2012/लेज: 373—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 16 अगस्त, 2012 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव। [बिहार अधिनियम 14, 2012]

बिहार मृल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) में संशोधन हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—16 में संशोधन I—(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—16 की उप—धारा (1) के प्रथम परंतुक को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है, यथाः—

''परंतु जब किसी माह के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी माह के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है, तो ऐसा आधिक्य पश्चातवर्ती माहों के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन के लिए अग्रणित किया जायेगाः''

(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—16 की उप—धारा (1) के प्रथम परंतुक के उपरांत निम्नलिखित दो नये परंतुक अंतःस्थापित किये जायेंगे, यथा—

"परंतु यह और कि निवेश कर क्रेडिट का कोई आधिक्य उस वर्ष जिसमें वह उद्भूत हुआ था की समाप्ति के दो वर्षों के बाद के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन हेतु अग्रसारित नही किया जायेगा एवं निवेश कर प्रतिदाय की ऐसी राशि जो उक्त अवधि के समाप्ति पर असमायोजित रह जाती है को इस अधिनियम की धारा—68, धारा—69, धारा—69क और धारा—71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यवहारी को ऐसे आधिक्य के संबंध में विवरणी दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय किया जायेगाः

परंतु और भी कि द्वितीय परन्तुक के अधीन निवेष कर—प्रतिदाय की कोई राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के पश्चात् किसी माह के उत्पादन कर से समायोजन हेतु तब तक अग्रसारित नही की जायेगी जब तक दावा करने वाला व्यवसायी विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य दाखिल नहीं करता।''

- 3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—25 में संशोधन I—(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—25 की उप—धारा (1) के खंड (ङ) के अंत में पूर्णविराम "।" को अर्द्धविराम ";" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (2) इस प्रकार प्रतिस्थापित ";" के पश्चात् बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—25 की उप—धारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (च) अंतःस्थापित किया जायेगा;—

''(च) विवरणी में निवेश कर प्रतिदाय एवं कटौती के अन्य दावों के समर्थन में विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य विहित रीति से दाखिल की गई है।''

(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—25 की उप—धारा (1) के पश्चात निम्नलिखित नई उप—धारा (1क) अंतर्विष्ट किया जायेगा, यथा:—

"(1क) उप—धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही की ऐसी हर विवरणी जिसके संबंध में निवेश कर—प्रतिदाय की राशि उत्पादन कर की राशि से अधिक हो, यथाविहित रीति एवं समय से दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर संविक्षित की जायेगी।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

27 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-12/2012/लेज: 374—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2012 को अनुमत बिहार मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 14, 2012]

The Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2012

An Act

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT 27 OF 2005)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short Title, Extent and Commencement- (1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2012.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of Section-16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)— (1) The first proviso to sub-section (1) of Section-16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that if the claim for input tax credit under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) for any month exceeds the output tax for the same month, such excess shall be carried forward for adjustment against the output tax of subsequent months:

(2) After the first proviso to sub-section (1) of Section-16 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the following two new provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that no excess of input tax credit, as aforesaid, shall be carried forward for adjustment against the output tax beyond a period of two years from the end of the financial year in which such excess arose and any amount of input tax credit that remains unadjusted after the expiry of the said period shall, subject to the provisions of section-68, section-69, section-69A and section-71 of this Act, be refunded within three months of the filing of the return relating to such excess:

Provided also that no excess of input tax credit under the second proviso shall be carried forward for adjustment against the output tax of a month later than the last month of the financial year unless the claiming dealer furnishes such information and evidence as may be prescribed."

- 3. Amendment of Section-25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)— (1) The full stop "." at the end of clause (e) of sub-section (1) of Section-25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by a semi colon ";".
- (2) After the semi colon so substituted, the following new clause (f) shall be inserted after clause (e) of sub-section (1) of Section-25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), namely:-
- "(f) such information and evidence, as may be prescribed, in support of claims relating to input tax credit and other deductions claimed in the return has been furnished in such manner as may be prescribed."
- (3) After sub-Section (1) of Section-25 the following new sub-Section (1A) shall be inserted, namely:-
- "(IA) Notwithstanding anything contained in sub-Section (I), every such return relating to the last quarter of any financial year in respect of which the amount of input tax credit exceeds the amount of output tax shall,

within three months of its filing, be scrutinized in such manner and within such time as may be prescribed."

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 428-571+400-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in